न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

1. **अपील संख्या 169/17** **निर्णय दिनांकः** 23/11/17

1. सुमनदेवी पत्नी सुन्दरलाल जाति धोगले(वाल्मीकी) निवासी शास्त्री नगर हाल निवासी चक 6 बीडी तहसील पूगल जिला बीकानेर।

अपीलांट्

—बनाम—

1. शांतिदेवी पत्नी धनराज जाति जाट निवासी चक 6 बीडी शिवनगर तहसील पूगल जिला बीकानेर।
2 स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 03—12—2010
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

2. **अपील संख्या 170/17**

1. सुमनदेवी पत्नी सुन्दरलाल जाति धोगले(वाल्मीकी) निवासी शास्त्री नगर हाल निवासी चक 6 बीडी तहसील पूगल जिला बीकानेर।

अपीलांट्

—बनाम—

1. शांतिदेवी पत्नी धनराज जाति जाट निवासी चक 6 बीडी शिवनगर तहसील पूगल जिला बीकानेर।
2 स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 09—07—2010
उपखण्ड अधिकारी, पूगल<u>उपस्थितिः—</u>

1. श्री सुमेरदान बीठू, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपीलें उपखण्ड अधिकारी, पूगल के निर्णय दिनांक 03—12—2010 व निर्णय दिनांक 09—07—2010 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट को स्माल पेच में गलत तरीके सें आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. दोनों अपीलों में निर्णय किये जाने योग्य वैधानिक प्रश्न समान है इसलिए इन दोनों अपीलों को एक ही कोमन निर्णय से निर्णित किया जा रहा है। इस निर्णय की एक—एक प्रति उपरोक्त दोनों पत्रावलियों पर रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी ने प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु कथन किया कि अपीलांट द्वारा उक्त अपील रेस्पोडेन्ट शान्ति के विरूद्व दिनांक 16—05—2017 को प्रस्तुत की गई है। जबकि रेस्पोडेन्ट शान्ति का स्वर्गवास अपील प्रस्तुत करने से पूर्व ही दिनांक 21—01—2017 को हो चुका था। कानूनन मृत व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं किया जा सकता। अगर ऐसी कोई कार्यवाही की भी जाती है तो वह एबईनिशियों वाईड व नलिटी की श्रेणी की है। अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार उक्त दिनांक को हासिल नहीं था। अपीलांट द्वारा मृत व्यक्ति के खिलाफ अपील प्रस्तुत की गई है। जो कानूनन चलने योग्य नहीं है। अतः अपीलांट की अपील इसी स्टेज पर खारिज की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआडी 2001 पेज 316 व आरएलडब्ल्यू 2007 पार्ट I आरजे पेज 101 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट/अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के जवाब बहस में कथन किया कि वादगत् आराजी के आवंटन की प्रथम हक अपीलांट का बनता है। अदालत मातहत द्वारा गुपचुप तरीके से

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को स्माल पेच में आवंटन किया गया है। आराजी जैर के राजस्व रिकार्ड में आज दिनांक को भी शान्ति देवी का नाम अंकित चला आ रहा है। अतः अपीलांट द्वारा राजस्व रिकार्ड के आधार पर रेस्पोडेन्ट शान्ति देवी को आवश्यक पक्षकार होने के मद्देनजर बतौर रेस्पोडेन्ट पक्षकार बनाया गया है। अपीलांट को उक्त तथ्य की कतई जानकारी नहीं थी कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 शान्ति देवी का स्वर्गवास हो चुका है क्योंकि यह तथ्य आज दिनांक को भी राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी आदि में कहीं अंकित नहीं है। यह तथ्य अपील प्रस्तुत करने के बाद शान्तिदेवी के वारिसों द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर जानकारी में आया है। अपीलांट द्वारा उक्त तथ्य की जानकारी के तुरन्त बाद प्रार्थना पत्र बाबत् कायम मुकाम प्रस्तुत किया जा चुका है। अतः रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् प्राथमिक आपत्ति खारिज किया जाकर रेस्पोडेन्ट शान्ति देवी के कायम मुकाम को रिकार्ड पर लेने के आदेश प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. **(1)** हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट सुमन देवी द्वारा दिनांक 16—05—2017 को न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए दिनांक 24—05—2017 को एकतरफा स्थगन आदेश अपीलांट के पक्ष में जारी किया गया कि वादगत् आराजी चक 6 बीडी के मुरब्बा नम्बर 209/34 के किला नम्बर 22 ता 25 की 3 बीघा 16 बिस्वा भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे। अपीलांट द्वारा उक्त अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के रूप में शान्ति देवी पत्नी धनराज को प्रतिस्थापित किया है।

(2) प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के वारिसान सुभाष पुत्र धनराज द्वारा प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा अपील शान्ति देवी के विरूद्व प्रस्तुत करते हुए एकतरफा स्थगन आदेश प्राप्त किया है। जबकि रेस्पोडेन्ट शान्ति देवी का स्वर्गवास दिनांक 21—01—17 को हो गया है अर्थात न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत करने से पूर्व ही रेस्पोडेन्ट का स्वर्गवास हो चुका है। ऐसी स्थिति में मृत व्यक्ति के विरूद्व अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती व मृत व्यक्ति के विरूद्व की गई कोई भी कार्यवाही एबईनिशियोवाईड व नलिटी की श्रेणी की है। अतः अपीलांट की

अपील मृत व्यक्ति के खिलाफ प्रस्तुत होने पर इसी स्तर पर खारिज की जावे।

(3) प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट का कथन कि वादगत् आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अदालत मातहत द्वारा स्मालपेच में किया गया है। चूंकि आराजी जैर के आवंटन के बाद से ही राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट शान्ति देवी का नाम चला आ रहा है। अपीलांट को इस तथ्य की कतई जानकारी नहीं थी कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का स्वर्गवास अपील प्रस्तुत करने से पूर्व हो चुका है तथा उसे इस तथ्य की जानकारी रेस्पोडेन्ट के वारिसों द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति के समय हुई है।

(4) प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए अपीलांट का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है, कि उसे अपील प्रस्तुत करने से पूर्व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के स्वर्गवास की कोई जानकारी नहीं है। इस संबंध में कानूनी स्थिति यह है कि जिन पक्षकारों के विरूद्व अपील या वाद प्रस्तुत किया जाना होता है, उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी अपीलांट को होनी चाहिए। इस संबंधं में आरएलडब्ल्यू 2007 पार्ट I आरजे पेज 101 में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि:—

Appeal was filed against the defendent after his death - Appeal against dead person is not maintainable and no effective order could have been passed by the board-Impugned order is illegal. Writ prtition allowed. उक्त नजीर मामलें में पूर्णतया चस्पा होती है।

7. अतः उक्त विवेचना व नजीर के प्रकाश में अपीलांट की अपीलें खारिज की जाती है व आदेश दिये जाते है कि अपीलांट् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के वारिसों को पक्षकार बनाते हुए नये सिरे से अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 23-11-12 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर